न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 2332 दिनांक 27/10/2022

प्रार्थीगण :-

1.भैराराम पुत्र बागाराम, जाति भील निवासी कलबियों का वास, जाजूसण तहसील सांचौर, जिला जालोर

विप्रार्थीगण:-

1. अम्बादान 2.हुकमदान 3.रूपदान 4.विरधदान पि. जवारदान, जाति चारण 5.फातमों पत्नि सुजाणाराम, 6.अलफ 7.उमर पि.जीयण 8.जगीसा पत्नि जीयण 9.एलियास 10.गफूर 11.कांभू पि.सुरतान, जाति मुसलमान, 12.छोगालाल 13.मोहनलाल पि.आसूलाल 14.फफीदेवी पत्नि आसूलाल, जाति ओसवाल, निवासी आलमसर, तहसील चौहटन,

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 125/2021 दिनांक : **19.10.2022**

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र आलमसर के मौजा आलमसर के खेत खसरा सं. 824/412 रकबा 05.08 बीघा एवं खसरा सं. 820/412 रकबा 06.10 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे |

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2022/ 2333 to 2336 दिनांक 27/10/2022

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थीगण भैराराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण अम्बादान वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.11.21 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन